न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या : 66/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सोनाराम पुत्र रिड़मलराम उम्र 60 वर्ष जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।		01. धुड़ाराम पुत्र रिड़मलराम उम्र 65 वर्ष 02. निम्बाराम पुत्र रिड़मलराम उम्र 62 वर्ष 03. केसरा पुत्र रिड़मलराम उम्र 62 वर्ष 04. गजरो पत्नी किसनाराम उम्र 50 वर्ष जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर। 05. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने बाबत्।

तारिख रजू : 29.07.2021

अधिवक्ता :–

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
02. पैराकार सरकार

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 23.07.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम गडरा पटवार हल्का धोरीमन्ना हाल ग्राम जाणियों की बेरी पटवार हल्का नेड़ीनाडी के खेत खसरा संख्या 152 रकबा 0–15 बीघा किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा संख्या 153 रकबा 193–10 बीघा खसरा संख्या 186 रकबा 15–10 बीघा का आये हुए थे जिनका श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक 07 दिनांक 18.03.2005 के द्वारा विभाजन होने पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 को [illegible] 152/1 रकबा 0–08 बीघा खसरा संख्या 153/2 रकबा [illegible] 153/3 रकबा 13–00 बीघा का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन प्रस्ताव में रंग भरा गया गया [illegible] खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला–बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 153/3 बरंग लाल सलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार कायम किया गया जिसमें उक्त खसरे में दक्षिण दिशा में स्थित मोड़ खसरे के मध्य बिन्दू पर रखा गया तथा सलग्न नजरीये नक्शा अनुसार उपरोक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 18.03.2005 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया जिसमें राजस्व विभाग द्वारा नामांतरकरण के पुश्त भाग पर नक्शा कायम किया गया जिसमें 153/2 रकबा 13–00 बीघा को इस खसरे में स्थित गै.मु. ढाणी खसरा संख्या 152 रकबा 0–15 बीघा में से ढाणी का 1/4 हिस्सा खसरा संख्या 153/3 में रखा गया इस प्रकार सलग्न नामान्तरकरण संख्या 229 के पुष्ट भाग का नक्शा में दक्षिण दिशा में स्थित मोड़ खसरे के बीचो बीच तथा ढाणी का 1/4 हिस्सा इस खसरे में लिया हुआ स्पष्ट प्रमाणित है तथा विभाजन आदेश के साथ सलग्न नजरीये नक्शा में भी ढाणी का 1/4 हिस्सा स्पष्ट रूप से खसरा संख्या 153/3 में प्रमाणित है। कि इसके बाद कायम जमाबंदी में भी इसी अनुसार तरमीम की गई परन्तु उसके पश्चात किसी समय हल्का पटवारी ने कलमी भूल द्वारा नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 153/3 की तरमीम करते समय विभाजन के अनुसार तरमीम नही कर इस ढाणी से काफी दुरी पर मोड़ा जो मध्य में स्थित था पश्चिमी सेढ़ा वहा पर कायम कर दिया गया जो एक मानवीय भूल व बिना किसी आदेश के की गई त्रुटि तरमीम दुरस्ती द्वारा दुरस्त योग्य है। कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वर्ष 2015 में बंटवांड़ा करवाया गया जिसमें खसरा संख्या 153/3 में प्रार्थी को 9–02 बीघा भूमि दी गई तथा विप्रार्थी धुड़ा को 3–02 बीघा भूमि दी गई तथा उक्त खसरे के उतरी व पश्चिमी सेढे पर कटाण मार्ग छोड़ा गया परन्तु उस समय खसरा संख्या 153/3 का छोटा स्वरूप होने से प्रार्थी को किसी प्रकार से समझ नही आया इस वजह से उक्त भूल को दुरस्त नही किया जा सकता तथा उक्त त्रुटि पुर्ण तरमीम रेकर्ड में चली आती रही। कि प्रार्थी के वर्तमान में मौका पर कब्जा काश्त पुरानी ढाणी से होता हुआ वर्ष 2005 के निर्णय अनुसार स्थित नक्शे के अनुसार चला आ रहा है परन्तु वर्ष 2015 को छोड़े गये रास्ता खसरा संख्या 153/11 की सीमाज्ञान करने पर उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में स्थित नक्शे के अनुसार प्रार्थी के खेत के बीचो बीच बना रहा था तथा हल्का पटवारी ने उक्त खेत के बिचो बीच स्थित रास्ते को खाली नही करने पर धारा 91 आरएलआर के तहत कार्यवाही की धमकी दी गई तब प्रार्थी ने सारे दस्तावेज की नकल लेकर अपने अधिवक्ता को दिखाने पर राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि पुर्ण तरमीम की जानकारी प्रार्थी को हुई तब यह दुरस्ती का प्रा[illegible] है। कि त्रुटि पुर्ण तरमीम के आधारपर उक्त खसरे में कायम रास्ता खसरा संख्या 153/11 रकबा 0–16 बीघा व विप्रार्थी धुड़ा को दिया गया 153/12 रकबा 3–02 बीघा व प्रार्थी का खसरा संख्या 153/3 रकबा 9–02 बीघा भूमि कुल रकबा 13 बीघा भूमि का खसरा वास्तविक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

से उठाकर पश्चिम की तरफ स्थापित कर दिया गया इसीलिए तीनो खसरे दुरस्त किये जाने के योग्य है कि उक्त त्रुटि पूर्ण तरमीम के आधार पर खसरा संख्या 153/11 रकबा 0–16 बीघा भूमि में तरमीम दुरस्ती तक किसी प्रकार का मौके पर खोला जाना न्यायोचित नही है क्योंकि यदि वर्तमान त्रुटि पुर्ण तरमीम के आधार पर रास्ता खोला जाता है तो प्रार्थी के खेत के बिचो बीच खुलेगा इसीलिए त्रुटि पुर्ण तरमीम के आधार पर किये गये परिवर्तन के आधार पर स्थापित खसरे व दुषित तरमीम की कियान्वती पर रोक लगाया जाना न्यायोचित है इसीलिए उक्त तरमीम दुरस्ती के प्रार्थना पत्र के निर्णय तक पालना रास्ता खोलने पर रोक लगाया जाने का आवेदन पेश है। कि वर्तमान लठा ट्रेस में वर्ष 2005 के विभाजन आदेश के साथ सलग्न नजरीये नक्शा व पारित नामान्तरकरण के पुश्त पर अंकित नक्शे अनुसार तरमीम को दुरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 05 का ग्राम जाणियों का मगरा पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 153/11 रकबा 0–16 बीघा व विप्रार्थी धुड़ा का खसरा संख्या 153/3 रकबा 9–02 बीघा भूमि कुल 13 बीघा भूमि का खसरा वास्तविक खसरा से उठाकर पश्चिम की तरफ स्थापित कर दिया गया इसीलिए नक्शा व नामान्तरकरण संख्या 229 के पुश्त भाग पर स्थित नक्शे अनुसार दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2021 को पत्रावली 66/2021 के रूप में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक ए.डी. से नोटिस भिजवाए गए। डाक रसीदे पेश की। विप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 की ओर से अधिवक्ता रामनिवास उपस्थित हुए जिन्होने बाद में पैरवी की हिदायत नही होना अंकित किया विप्रार्थी नीम्बाराम की ओर से वकील खेताराम पूनड़ उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा तरमीम में संशोधन से सहमत है। न्यायालय ने मौका रिपोर्ट मय जवाब तलब किया जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौका रिपोर्ट मय जवाब पेश किया जो शामील पत्रावली हो। विप्रार्थी संख्या 02 के अलावा एकतरफा की कार्यवाही की गई। मौका फर्द दिनांक 27.12.2023 को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थी की ओर से साक्षी पीराराम, विरधाराम व रामलाल के शपथ पत्र पेश किये जो शामील पत्रावली हो साक्ष्य शफथ पत्र में पाडोसीयों द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी ने वर्तमान जमाबदी जिसमें तरमीम त्रुटि पुर्ण है तथा नामान्तरकरण संख्या 229 के पृष्ठ भाग पर तरमीम अंकित करते हुए खसरा संख्या 153 व 153/3 के मध्य जो ... है वह बीच में ढाणी खसरा संख्या 152 के बिचो बीच से कटती हुई है जबकि इसके आधार पर नक्शे मे तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

करते समय 152 व 152/1 दोनो खसरों को खसरा संख्या 153 में रख दिया जिससे 153 का रकबा बढ गया तथा 153/3 का रकबा कम हो गया । इस त्रुटि के कारण नामान्तरकरण संख्या 26 में भी त्रुटि रही है जो उसी अनुसार दुरस्त योग्य है।

बहस विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा, जमाबंदी एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना का गहनता से अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 229 जिसमें खसरा संख्या 153 व 153/3 के मध्य बंटवाड़ा किया गया जिसके पृष्ट भाग पर अंकित नक्शा जो वक्त बंटवाड़ा वर्ष 2005 में कायम किया गया जिसमें उक्त दोनो खसरो के मध्य तरमीम स्पष्ट रूप से दोनो खसरो के मध्य स्थित ढाणी के बीचो बीच आ रही है तथा उसके बाद कायम नक्शे की तरमीम जो इसी नामान्तरकरण से की गई में इस नजरीये नक्शे के भिन्न खसरा संख्या 153/3 में कर दी गई जिससे खसरा संख्या 153/3 का रकबा कम होना स्वभाविक है इसीलिए प्रथम दृष्टया इसी अनुसार रही कलमी भूल को दुरस्त करनें में कोई आपति प्रकट नही होती है तत्पश्चात उक्त प्रकरण में आई मोका रिपोर्ट का अवलोवलोकन करने से मौका रिपोर्ट में तहसीलदार धोरीमन्ना ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि खसरा संख्या 153 व 153/3 के मध्य की गई तरमीम भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नही है खसरा संख्या 153/3 का रकबा कम है इसीलिए उक्त तरमीम को दुरस्त किया जाना विधि समत है साथ ही मौका रिपोर्ट में दो नक्शे पेश किये गये है जो परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब के रूप में किया गया है परिशिष्ट ब में वर्तमान त्रुटिपुर्ण तरमीम दर्शायी है तथा परिशिष्ट अ में वास्तविक स्थिति के अनुसार केवल खसरा संख्या 153 व 153/3 की लाईन को दर्शाया गया है जिसमें खसरा संख्या 153/3 की पश्चिमी भूजा खसरा संख्या 152 ढाणी के बीचो बीच लाया गया तथाा पूर्वी सेढ़े की तरमीम जो मोड़ से कुछ पिछे थी उसे मोड़ पर लाया गया है तथा इसी अनुसार भौतिक कब्जा है इसीलिए उक्त खसरा संख्या 153/3 में खसरा संख्या 153 व 153/1 दोनो तरफ स्थित सेढ़ो की तरमीम परिशिष्ट अ के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाकर लढ़ा ट्रेस में अंकित करते हुए ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में ऑनलाईन तरमीम दुरस्त की जावें साथ ही उक्त त्रुटिपुर्ण तरमीम होने के बाद हुए परिवर्तन जो नामान्तरकरण संख्या 26 द्वारा खसरा संख्या 153/3 में कायम रास्ता खसरा संख्या 153/11 की तरमीम भी इसी अनुसार सेढ़े पर अंकित करते हुए दुरस्त किया जावें तथा खसरा संख्या 153/12 जो इस त्रुटिपुर्ण तरमीम के बाद कायम हुआ परन्तु उक्त तरमीम पर इस [illegible] ती से कोई असर नही होने से उसमें किसी प्रकार की दखलअंदाजी किया जाना [illegible] नही होता है साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

Scanned with OKEN Scanner

ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2023 के साथ नक्शा परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब दोनो निर्णय के अभिन्न अंग रहेगे तथा परिशिष्ट अ के अनुसार दुरस्त किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिगत है कि सरहद मौजा जाणियों का मगरा पटवार हल्का नेडीनाडी के खेत खसरा संख्या 153/3 रकबा वकत तरमीम 13 बीघा की बाहरी सीमा में पुर्वी सेढ़ा जो खसरा संख्या 153/3 व 153/1 के मध्य स्थित है व पश्चिमी सेढ जो खसरा संख्या 153/3 व 153 के मध्य स्थित है को नजरीये नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरस्त करते हुए दुरस्ती के अनुसार सेढ़े पर खसरा संख्या 153/11 जो रास्ता के रूप में वर्णित है को दुरस्ती के बाद सेढ़े पर पुनः दुरस्ती अनुसार तरमीम संसोधित कर ऑनलाईन नक्शे में दर्ज की जावें साथ ही खसरा संख्या 153/3 में से नवसृजित खसरा संख्या 153/12 की तरमीम परिशिष्ट ब के अनुसार तरमीम दुरस्ती में प्रभावित नही होने से किसी प्रकार परिवर्तन करना उचित प्रतित नही होता है उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत मौका फर्द दिनांक 27.12.2023 के अनुसार दुरस्त की जाती है उक्त मौका फर्द मय परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा इसी अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित एंव विधिसंगत समझते हैं।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने का भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

01. कि सरहद मौजा जाणियों का मगरा पटवार हल्का नेडीनाडी के खेत खसरा संख्या 153/3 रकबा वकत तरमीम 13 बीघा की बाहरी सीमा में पुर्वी सेढ़ा जो खसरा संख्या 153/3 व 153/1 के मध्य स्थित है व पश्चिमी सेढ जो खसरा संख्या 153/3 व 153 के मध्य स्थित है को नजरीये नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरस्त करते हुए दुरस्ती के अनुसार सेढ़े पर खसरा संख्या 153/11 जो रास्ता के रूप में वर्णित है को दुरस्ती के बाद सेढ़े पर पुनः दुरस्ती अनुसार तरमीम संसोधित कर ऑनलाईन नक्शे में दर्ज की जावें साथ ही खसरा संख्या 153/3 में से नवसृजित खसरा संख्या 153/12 की तरमीम परिशिष्ट ब के अनुसार तरमीम दुरस्ती में प्रभावित नही होने से किसी प्रकार परिवर्तन करना उचित प्रतित नही होता है उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत मौका फर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27.12.2023 के अनुसार दुरस्त की जाती है उक्त मौका फर्द मय परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तहसीलदार धोरीमन्ना भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर ऑनलाईन नक्शे में इसी अनुसार दुरस्त करने हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक .23.07.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner